FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

बन्नाराम वगै0 बनाम ग्राम पंचायत नाथा की नांगल

किस्म मुकदमा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण मु0नं0 11 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/412

ख	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 195 ग्राम पंचायत नाथा की नांगल दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।	
26/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09.04.2025 बाबत नामान्तरकरण संख्या 195 ग्राम डूंगरवास ग्राम पंचायत नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अपीलान्ट्स द्वारा जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त आराजी में से भूमि ख0नं0 1188/397, 399 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4120 है0 में से 6/45 हिस्से का एक रजिस्टर्ड उपहार पत्र उपहारग्रहितागण धर्मपाल सैनी, सांवलराम व सुलतान सिंह पुत्रगण गीगाराम के पक्ष में दर्ज करवाया था परन्तु उक्त उपहार पत्र का नामान्तरकरण दर्ज करते समय जमाबंदी की सम्पूर्ण भूमियों में सहवन से उपहारग्रहिता के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो गया जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।	

अतः नामान्तरकरण संख्या 195 ग्राम डूंगरवास ग्राम नाथा की नांगल दिनांक 09.04.2025 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:43:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर सभी पक्षकारों को सुनते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:43:26 IST
Reason: SelfAttested